(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10 / 2020

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

श्री इन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल सैनी उम्र 45वर्ष निवासी राजपुरा वार्ड, धाकड़ों के मन्दिर के पास बारां (विक्रेता एवं मालिक)। मैसर्स श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, अम्बेडकर सर्किल बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 15.09.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.08.2019 को मैसर्स श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, अम्बेडकर सर्किल बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री इन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल सैनी (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 14.08.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** साफ सूखी तपेली में आम जनता को विकय की जा रही थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** वास्ते नमूना जांच हेतु **02 कि.ग्रा.** खरीदी, जिसकी कीमत श्री इन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल सैनी (विक्रेता एवं मालिक) को 640/- रूपये (अक्षरे छः सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि.ग्रा.** को चार नमूना भागो मे अलग-अलग कर साफ सूखी स्वच्छ कॉच की शीशीयो में परिरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशीयों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-959 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-959 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री इन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल सैनी ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/396 दिनांक 16.10.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 425/FSSA /Kota /Act /2019/471 दिनांक 11.10.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **असुरक्षित (unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/53 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट से निर्माता संतुष्ट नहीं होने के कारण निर्माता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी, जिस पर नमूने के द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएसए /2019/470 दिनांक 05.12.2019 द्वारा रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे में भिजवाया गया था, एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे के पत्रांक RFL/DO/613/19/1278/2019 दिनांक 17.12.2019 अवगत कराया गया कि नमूना जांच हेतु टूटा हुआ प्राप्त हुआ है, जिस कारण जांच करना असम्भव है। नमूने का तृतीय भाग भिजवाये। जिसकी पालना में एफएसएसए/2019/482 दिनांक [illegible]19 द्वारा नमूने का तृतीय भाग जांच हेतु भिजवाया गया, जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक फूड लेबोरेट्री पूणे का क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested

RFL/DO/22/20/98/2020 दिनांक 04.02.2020 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया। खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (**Sub Standard**) होना पाया गया। जांच रिपोर्ट परिवाद के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय की गई थी, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (**Sub Standard**) होना पायी गयी। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी थी, जो मेरे द्वारा दूध खरीद कर निर्मित की गई थी। जिसमें मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई हैं। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय की गई, खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित)** निदेशक फूड लेबोरेट्री पूणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/DO/22/20/98/2020 दिनांक 04.02.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (**Sub Standard**) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को राशि 5,000/– रूपये (अक्षरे पाँच हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 13:18:41 IST
Reason: SelfAttested